



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122023-250434
CG-DL-E-05122023-250434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4940]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 2023/अग्रहायण 14, 1945

No. 4940]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 2023/AGRAHAYANA 14, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5165(अ).—यतः, मै. फीनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने तेलंगाना राज्य में सर्वे नंबर, 53/पाइकी/पार्ट, गाचीबोवली गांव, सेरिलिंगमपल्ली, मंडई, रंगा रेड्डी जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था।

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 2006 (अ) दिनांक 19 जून, 2017 और का.आ. 3113(अ) दिनांक 15 सितम्बर, 2017 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 1.78 हेक्टेयर और 0.80 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. फीनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 2.58 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके पत्र संख्या 4733/आईटीईएण्डसी/परोम/2017 दिनांक 3 जून, 2017 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 2.58 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. फ.1/10/2017-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2023

S.O. 5165(E).— Whereas, M/s. Phoenix IT City Private Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Sy. No. 53/ Paiki/Part, Gachibowli Village, Serilingampally, Mandai, Ranga Reddy District, in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 1.78 hectares and an addition area of 0.80 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 2006 (E) dated 19th June, 2017 and S.O. 3113 (E) dated 15th September, 2017, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Phoenix IT City Private Limited has now proposed to de-notify the entire area of 2.58 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. 4733/ITE&C/Prom/2017 dated 3rd June, 2023. After de-notification, the land parcel will conform to Land Use Guidelines/master plans of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 2.58 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/10/2017-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.